21.<u>आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम</u>:–आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही–सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination"तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। **परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न–पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/– (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।**

22. परिचालक के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :–

<u>लिखित परीक्षा की स्कीम</u>

- लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय (वस्तुनिष्ठ) प्रश्नों पर आधारित होगी।
- कुल 100 प्रश्न पूछे जावेंगें। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।
- लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।
- लिखित परीक्षा की अवधि 02 घण्टे होगी।
- सभी प्रश्न अनिवार्य है।
- गलत उत्तर के लिये कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

<u>लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम(सैकण्डरी स्तर)</u>

विषयवस्तु
सामान्य ज्ञान
राजस्थानः– स्थिति, क्षेत्र, जिले, संस्कृति, त्यौहार, रीति–रिवाज, इतिहास, भौगालिक परिस्थितियां, मौसम, खनिज, फसलें एवं प्रमुख उद्योग।
यातायात नियम
प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियां
गणितः– जोडना, घटाना, गुणा, भाग, लाभ एवं हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात
सम–सामयिक घटनाक्रम
General English Translation, Singular-Plural, Opposite words, Unseen Passage, Tense, Verb, Incorrect-Correct Spelling and sentence.
सामान्य हिन्दी शुद्ध–अशुद्ध, वाक्यों का संशोधन व शुद्ध वर्तनी, सन्धि, सन्धि–विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अंग्रेजी–हिन्दी अनुवाद, समानार्थक शब्द।

Signature Valid

Digitally signed by B... Chand Badhal
Designation :... ary
Date: 2024.12.1... 14:36:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12490090